न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2022/213 **दायरा दिनांक : 12.12.2022**

उनवान

विरेन्द्र कुमार उर्फ बृजमोहन पुत्र मदन, जाति पालीवाल, आयु साल, निवासी कनवाडा हाल मुकाम सेठों का चौराहा झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0

अपीलांट

बनाम

1– चन्द्रकान्त पुत्र मदन, जाति पालीवाल ब्राह्मण, निवासी कनवाडा हाल सेठों का चौराहा झालरापाटन, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील झालरापाटन, जिला झालावाड़ राज0
3– उपखण्ड अधिकारी, झालावाड जिला झालावाड़ राज0

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित श्री शैलेन्द्र पोसवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 18.01.2024**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड़ के प्रकरण संख्या – 601/दावा/2010 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 13/09/2010 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोडेंट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कनवाडा में खाता संख्या 250 में मेरा नाम बृजमोहन पुत्र मदन पालीवाल हिस्सा 1/3 खाता दर्ज है। मेरा नाम वर्तमान में वास्तव में चन्द्रकांत पुत्र मदन है। मेरा फोटो पहचान पत्र, राशनकार्ड समस्त चन्द्रकांत नाम से ही है। मेरा नाम पूर्व में बचपन से ही खाते में बृजमोहन बोलचाल की भाषा से दर्ज हो गया है। श्रीमान् से निवेदन है कि मेरा नाम बृजमोहन से शुद्ध कर चन्द्रकांत करने की कृपा करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड ने अपने निर्णय दिनांक 13.09.2010 दावा वादी स्वीकार कर डिक्री किया है कि ग्राम कनवाडा प0 म0 कनवाडा भू0 अभि0 निरीक्षक क्षेत्र समराई, तहसील झालरापाटन की जमाबंदी सं. 2064 से 2067 के खाता सं. 259/241 कुल खसरा नम्बरान किता 18 कुल रकबा 30.14 बीघा लगानी 85.08 के कालम सं. 4 में बृजमोहन पुत्र मदन का नाम डिलीट कर उसके स्थान पर चन्द्रकांत पुत्र मदन का नाम दर्ज किया जावे। नियमानुसार पर्चा डिक्री जारी किया जावे एवं तहसीलदार तहसील झालरापाटन को डिक्री पालनार्थ भेजी जावे, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह अपील प्रार्थना पत्र एस. डी. ओ. झालावाड के आदेश व डिक्री दिनांक 13.09.2010 धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के विरूद्ध पेश की गयी है। विवादित आराजी ग्राम कनवाडा पटवार हल्का कनवाडा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र समराई तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज० में हाल खसरा नम्बर 185 साबिक खसरा नम्बर 150 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 हाल साबिक खसरा नम्बर 143 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 192 हाल साबिक खसरा नम्बर 174 रकबा 04 बिस्वा, खसरा नम्बर 193 हाल साबिक खसरा नम्बर 173 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 194 हाल साबिक खसरा नम्बर 144 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 196 हाल साबिक खसरा नम्बर 147 रकबा 2 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 197 हाल साबिक खसरा नम्बर 150 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 203 हाल साबिक खसरा नम्बर 149 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 204 हाल साबिक खसरा नम्बर 148 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 206 हाल साबिक खसरा नम्बर 160 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 207 हाल साबिक खसरा नम्बर 159 रकबा 08 बिस्वा, खसरा नम्बर 208 हाल साबिक खसरा नम्बर 161 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 209 हाल साबिक खसरा नम्बर 162 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 210 हाल साबिक खसरा नम्बर 163 रकबा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 216 हाल साबिक खसरा नम्बर 170 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 217

हाल साबिक खसरा नम्बर 17। रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 218 हाल साबिक खसरा नम्बर 172 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 59 हाल साबिक खसरा नम्बर 42 रकबा 17 बीघा 09 बिस्वा कुल किता 18 कुल रकबा 30 बीघा 14 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है। अपील के मद नम्बर–02 में वर्णित विवादित आराजीयात अपीलार्थी के पिता मदनमोहन ने स्वयं महाराजा भीमसिंह जी, कौम राजपूत, निवासी झालावाड से विक्रय पत्र क्रमांक 150 दिनांक 08.04.1968 को अपने नाबालिग पुत्र राधेश्याम, ओम प्रकाश व बृजमोहन नाबा. सरपरस्त माता नर्बदाबाई के नाम से खरीद की थी। जिस पर वर्तमान तक अपीलार्थी व उसके भाइयों द्वारा कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलार्थी के भाइयों द्वारा मिलकर षडयन्त्र पूर्वक माननीय न्यायालय एस.डी.ओ. झालावाड में सन् 2010 में एक वाद व एक प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती हेतु प्रस्तुत किया कि बृजमोहन ही चन्द्रकान्त है और माननीय न्यायालय द्वारा भी बिना किसी ठोस सबूत के केवल गवाह बयान अनिल कुमार जैन पुत्र रमेशचन्द जैन, निवासी झालावाड व श्यामलाल पुत्र मदन पालीवाल ब्राहमण, निवासी कनवाडा व ओम प्रकाश पुत्र मदन पालीवाल ब्राहमण निवासी कनवाडा व चन्द्रकान्त पुत्र मदनलाल पालीवाल ब्राहमण के बयान व शपथ पत्र के आधार पर ही नाम में परिवर्तन कर दिया और जमाबंदी की प्रविष्टि में इन्तकात नम्बर–808 तस्दीक कर बृजमोहन के स्थान पर चन्द्रकान्त कर दिया, जो विधि के विरूद्व है। क्योंकि ना तो उस समय अपीलार्थी को कोई सूचना दी गई, ना ही शेष परिवार के सदस्यों को। अगर अपीलार्थी को उस समय सूचना दी होती तो अपीलार्थी उपस्थित होता और अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रख पाता। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री विधि विरूद्व है या माननीय अधीनस्थ न्यायालय से विधिक भूल हुई है। मद नम्बर–02 में वर्णित आराजी पर अपीलार्थी आज दिवस तक काबिज है और अपीलार्थी गांव से बाहर ब्यापार करता है। इसलिये अपीलार्थी को जानकारी नहीं हुई कि अपीलार्थी के खाते काश्त की जमाबंदी में कोई प्रविष्टि किस आदेश द्वारा बदली गई है। वाद कारण दिनांक 23/08/2022 को उत्पन्न हुआ जब चन्द्रकान्त, राजेन्द्र से माल ग्राम रूपपुरा, तहसील पिडावा (सुनेल) की भूमि को लेकर वाद विवाद अपीलार्थी को हुआ तो उस समय चन्द्रक्रान्त व राजेन्द्र ने कहा कि माल ग्राम कनवाडा की भूमि से भी अपीलार्थी को बेदखल करेंगे क्योंकि भूमि चन्द्रकान्त के नाम पर दर्ज है। तब अपीलार्थी के संज्ञान में आया और सम्बन्धित भू–अभिलेखागार से संबंधित नकलों की प्रतियां प्राप्त की तथा तब पता लगा और अपीलार्थी माननीय न्यायालय की शरण में उपस्थित हुआ है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्व अपील पेश कर अनुतोष चाहा गया कि उक्त आदेश का पुनः निरीक्षण कर सही अंकन व रिपोर्ट कर पुनः सही इन्द्राज किये जाने के आदेश प्रदान करें। जिससे अपीलार्थी को उचित लाभ प्राप्त हो सके जिसका अपीलार्थी हकदार है तथा विधिक प्रक्रिया का अनुसरण हो सके तथा अधिनियम पर विपरीत प्रभाव ना पड़े तथा अपीलार्थी के अधिकारों का संरक्षण हो सके। अपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपील को मद नम्बर–02 में वर्णित आराजी की जांच कर पुनः इन्द्राज दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने तथा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13–09–2010 को खारिज किया जावे अन्य न्यायोचित सहायता जो बहक अपीलार्थी हो उसके पक्ष में सादिर फरमाये जाने की कृपा करे।

अपीलांर्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी. पी. सी. निम्न आधारों पर प्रस्तुत की गई जिसमें अपीलार्थी को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान की जावे।

दिनांक 13.09.2020 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड द्वारा धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 एक. आर. एक्ट में एक वाद निर्णित व डिक्री किया गया था। जिसमें विरूद्ध अपीलार्थी ने एक अपील माननीय न्यायालय में पेश की गई है।

अपीलार्थी ने मद नं. 02 में वर्णित विवादित आराजीयात अपीलार्थी के पिता मदन मोहन ने एवं महाराजा भीमसिंह जी साहब, कौम राजपूत, निवासी झालावाड से विकय पत्र कमांक 150 दिनांक 08.04. 1968 को अपने नाबालिग पुत्र राधेश्याम, ओम प्रकाश एवं बृजमोहन ना. बा. सरपरस्त माता नर्बदाबाई के नाम से खरीद की थी। जिस पर अपीलार्थी व उसके भाइयों द्वारा कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं।

अपीलार्थी के भाइयों द्वारा मिलकर षडयन्त्रपूर्वक या न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, झालावाड में सन् 2010 में एक वाद व प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरुस्ती हेतु प्रस्तुत किया कि चन्द्रकान्त ही बृजमोहन है तथा बृजमोहन ही चन्द्रकान्त है। उक्त तथ्य की बिना जांच व ठोस सबूतों के बिना ही या न्यायालय एस.डी.ओ. झालावाड द्वारा केवल बयान गवाहान के शपथ पत्रों के आधार पर ही दिनांक 13.09.2010 को निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा इन्तकाल नं. 808 तस्दीक कर बृजमोहन के स्थान पर चन्द्रकान्त कर दिया गया है जो कि विधि विरूद्ध है।

अपीलार्थी व अन्य परिवारजन को उक्त प्रकरण की कोई सूचना नहीं दी गई व जानकारी नहीं हुई। यह प्रत्यर्थीगण 01 द्वारा गुपचुप तरीके से सारे कार्य का निष्पादन करवाया गया। अपीलार्थी माननीय न्यायालय एस.डी.ओ. झालावाड के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2010 से काफी व्यथित व परेशान हाल है। क्योंकि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में नहीं आया था किन्तु जब वर्तमान में यह सब जानकारी में आया तो अपीलार्थी काफी व्यथित व परेशान है।

अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण में पक्षकार नहीं था। क्योंकि उसकी जानकारी में नहीं आया था, किन्तु जब जानकारी में आया तो वह उक्त अपील पेश करने व अपील में आवश्यक पक्षकार बनना होती तो वह अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार बन सकता था, किन्तु उसे सूचना नहीं मिलने के कारण वह पक्षकार नहीं बन सका। इसलिये अपीलार्थी अपील में पक्षकार बनना चाहता है।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को आवश्यक पक्षकार बनने की अनुमति प्रदान नहीं की गई तो अपीलार्थी को काफी नुकसान व क्षति कारित होगी जिसकी द्रव्य मूल्य से पूर्ति नहीं की जा सकती है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपीलार्थी को अपील में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोंडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस तर्क किया कि अपील के साथ प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र में विवादित आराजीयात अपीलार्थी के पिता मदन मोहन ने महाराजा भीमसिंह जी कौम राजपूत, निवासी झालावाड से विक्रय पत्र क्रमांक 150 दिनांक 08.04.1968 को अपने नाबालिग पुत्र राधेश्याम, ओमप्रकाश एवं बृजमोहन ना. बा. सरपरस्त माता नर्बदाबाई के नाम से खरीद की थी। उपखण्ड अधिकारी झालावाड में रेस्पोडेंट नम्बर 1 ने सन् 2010 में एक वाद व प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रस्तुत किया कि चन्द्रकान्त ही बृजमोहन है तथा बृजमोहन ही चन्द्रकान्त है। अतः विवादित आराजी के राजस्व जमाबंदी में सहखातेदार बृजमोहन पुत्र मदन के स्थान पर चन्द्रकान्त पुत्र मदन दर्ज किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने वादी रेस्पोडेंट नम्बर 1 का वाद दर्ज रजिस्टर कर गवाह बयान अनिल कुमार जैन पुत्र रमेश चन्द जैन निवासी झालावाड व श्यामलाल पुत्र मदन पालीवाल ब्राहमण, निवासी कनवाडा व चन्द्रकान्त पुत्र मदनलाल पालीवाल ब्राहमण के बयान व शपथ पत्र तथा पटवारी के बयान के आधार पर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झालावाड द्वारा बयान/गवाहान के शपथ पत्रों के आधार पर ही दिनांक 13.09.2010 को निर्णय व डिक्री पारित कर दी तथा इन्तकाल नं. 808 तस्दीक कर विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में बृजमोहन के स्थान पर चन्द्रकान्त कर दिया, जो कि विधि विरूद्ध है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 96 सी. पी. सी. प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी का नाम विरेन्द्र कुमार उर्फ बृजमोहन पुत्र मदनमोहन अंकित किया है परन्तु अपीलांट ने विरेन्द्र कुमार ही बृजमोहन है अपने इस कथन की पुष्टि हेतु प्रार्थना पत्र के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य इस न्यायालय में पेश नहीं किया है। इसी प्रकार विवादित आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में चन्द्रकान्त की जगह विरेन्द्र कुमार किस आधार पर दर्ज किया जाए, इस संदर्भ में भी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः विरेन्द्र कुमार/बृजमोहन/ चन्द्रकान्त तीनों एक ही व्यक्ति हैं यह प्रमाणित नहीं होने के कारण धारा 96 सी पी सी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर धारा 96 सी पी सी प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.09.2010 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/01/2024

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा